कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 1017 /11—सी—FP/UP/Road/151936/2022, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 16 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
बस्ती वृत्त, बस्ती।

विषयः— अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 2.48 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः— आपका पत्रांक—626/33—1, दिनांक 12.09.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः—

1. प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तावित वनभूमि की गणना पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
2. प्रस्ताव में बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु सूची में बाधक वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं किया गया है। अतः व्यासवार एवं वैज्ञानिक नाम सहित बाधक वृक्षों सूची प्रस्ताव में संलग्न करें।
3. प्रस्ताव में बाधक वृक्षों के 10 गुना वृक्षों का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है, किन्तु संलग्न प्राक्कलन में CA स्थल का नाम व उससे सम्बन्धित अन्य विवरण अंकित नहीं किया गया है।
4. प्रस्ताव में CA स्थल का Geo Referenced Digital Map संलग्न नहीं किया गया है तथा ऑनलाइन भाग—2 में CA स्थल का त्रुटिपूर्ण Geo Referenced Digital Map अपलोड किया गया है। अतः CA स्थल का सही Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड करें।
5. प्रस्ताव में CA स्थल का SoI Toposheet संलग्न नहीं किया गया है तथा ऑनलाइन भाग—2 में CA स्थल का त्रुटिपूर्ण SoI Toposheet अपलोड किया गया है। अतः CA स्थल का सही SoI Toposheet प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड करें।
6. प्रस्ताव में रेलवे विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, जोकि स्वीकार्य नहीं है। अतः रेलवे विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
7. प्रस्ताव में संलग्न मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
9. अयोध्या एवं गोण्डा वन प्रभाग के प्रस्तावों में भी वैकल्पिक रूट्स की SoI Toposheet एवं Justification उसका संलग्न किया जाना है। अतः संलग्न करें।
10. प्रस्ताव के साथ संलग्न पेन ड्राइव में प्रस्ताव की सभी अभिलेखों की अलग—अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल की सही के0एम0एल0 फाइल भी हो, पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 1017 /11—सी—FP/UP/Road/151936/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. वन संरक्षक, गोण्डा एवं अयोध्या।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या, गोण्डा एवं बस्ती।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1161